संख्या-332/2017/502/22-2-2017-17(29)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार, बरेली।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2017

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालकराम पुत्र श्री नंगू, निवासी ग्राम व थाना पसगवां, जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-24/2016/2087/22-2-2016-17(29)/2006 दिनांक 03.01.2017 द्वारा बन्दी बालकराम पुत्र श्री नंगू की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न लाइसेन्स की प्रति में उक्त कैदी का अभिभावक उसके भाई श्री नरेश सिंह, निवासी ग्राम व थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी को नियुक्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-2118-21/बन्दी फार्म-ए/रिहाई/अभिभावक/2016-17 दिनांक 06.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि कैदी के अभिभावक उसके भाई श्री नरेश सिंह की दिनांक 15.06.2014 बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी है तथा उसके स्थान पर कैदी के भतीजे श्री मनोज सिंह पुत्र स्व0 नरेश सिंह को उपयुक्त बताते हुए नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के उक्त अनुरोध तथा महानिरीक्षक, कारागार के पत्र दिनांक 07.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या के दृष्टिगत रखते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 के साथ संलग्न लाइसेन्स फार्म-घ (डी) में कैदी बालकराम पुत्र श्री नंगू का अभिभावक उसके भाई नरेश सिंह के स्थान पर अभिभावक उसका भतीजा श्री मनोज सिंह पढे. जाने हेतु लाइसेन्स संशोधित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 के साथ संलग्न लाइसेन्स इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। लाइसेन्स की अन्य शर्ते/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-332/2017/502(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-6939/प्रोबेशन-3(एम-13.10.2016) दिनांक 07.03.2017 के संदर्भ में।

2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-2118-21/बन्दी फार्म-ए/रिहाई/अभिभावक/2016-17, दिनांक 06.02.2017 तथा पत्रांक 2305/जि0प्रो0 का0/बन्दी /रिहाई/2016-17 दिनांक 02-03-2017 के संदर्भ में।

3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी[1]

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।